



भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्वोगिक क्षेत्र Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165 Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

Mine Code: 38RAJ24004

संख्या : RAJ/SRH-25/LST-4

दिनांक: 01.07.2022

प्रेषित : , खान एजेंट, आमली चूना पत्थर खान,

मेसर्स अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड (पूर्व में बिनानी सीमेंट लिमिटेड),

पोस्ट- आदित्य नगर,जिला-सिरोही (राजस्थान) 307031

Email- gajendra.s@adityabirla.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Amli Limestone Mine (Lease area 468.6875Hect.) situated in Sirohi District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 09.06.2022 by the undersigned in presence of Shri Gajendra Singh Shekhawat, Mines Agent:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	 The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 15.12.2020): - 1) During the year 2021-22 exploration was proposed by drilling of 62 bore holes (6159.5m) but only 4 bore holes (550m) drilling has been carried out. 2) During the year 2021-22, Screen reject dumping has been carried out between grid 308390E to 308600E & 2746360N to 2746500N which was not proposed in approved review of mining plan.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गतः

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की रिथति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यरो

प्रतिलिपि स्चनार्थ प्रेषित :--

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार,सिरोही (राजस्थान)।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो